

प्रपत्र-8

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राजसमन्द जिला राजसमन्द
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) केम्प राजपुरा

-: आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी राजपुरा
व भू.अ.नि. कोर्ट की रिपोर्ट तथा तहसीलदार रेलमराटा / नायब
तहसीलदार रेलमराटा की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम
1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम राजपुरा तहसील रेलमराटा व
जिला राजसमन्द की जमाबन्दी संवत् 2022 में खाता संख्या 30 में
वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल
दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	राजपुरा	30	हगामी पति स्व. उदयराम बैरवा मा. देह खातेदार रहिन स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा - राजपुरा दरिवा	हगामी पति स्व. उदयराम बैरवा मा. देह खातेदार रहिन स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा राजपुरा दरिवा

पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,

क्रमांक:- 394

प्रतिलिपि :-

दिनांक :- 16/10/25

1. तहसीलदार रेलमराटा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावें।
2. प्रार्थी श्री को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,